

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2023/33 बअनवान मेहताब कंवर वगैरा बनाम मालमसिंह वगैरा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
23 ⁰⁹ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण श्री अमृत परिहार उपस्थित। अप्रार्थी अनुपस्थित। उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता की अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2076-79 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का भीटवाडा के खसरा न0 1528/102 रकबा 0.97 हैक्टर किस्म बारानी अब्बल के खातेदार अप्रार्थीगण मालमसिंह पुत्र उमसिंह जाति राव है। उपलब्ध तथ्यों से यह भी ज्ञात है कि अप्रार्थी को उक्त भूमि उपखंड अधिकारी बाली के आदेश क्रमांक एफ.12(2) 0/राज/नियमन/08/1745-46 दिनांक 19.04.08 से भूमि नियमन होने से नामान्तरण स0 544 दिनांक 23.04.08 से प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण ने वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के पिता मालमसिंह पुत्र खूमसिंह को नियमन होना वर्णित करते हुए घोषणा खातेदारी व सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है, तथा साथ में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है, जिसे प्रार्थना पत्र पर इस न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09.20.23 से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी की गई तथा पश्चात अप्रार्थी को जारी नोटिस तामील के बावजूद अप्रार्थी जवाब विफल रहने से न्यायालय आदेशिका दिनांक 12.06.24 से अप्रार्थी मालमसिंह के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही भी अमल में लाई जा चुकी है। वकील प्रार्थीगण द्वारा इन्हीं बिन्दुओं को आधार बनाते हुए दिनांक 09.02.2023 को पारित आदेश को वाद के निर्णय तक पुख्ता किए जाने की दलील दी जा रही है। बाद अवलोकन पत्रावली व सुनने वकूलाय वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई अन्यथा विवाद न हो इस हेतु ग्राम भीटवाडा पटवार हल्का भीटवाडा के खसरा न0 1528/102 रकबा 0.97 हैक्टर किस्म बारानी अब्बल के संबंध में रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के संलग्न होकर नंबर से कम हो।</p>	



3
 सहायक कलेक्टर एवं पदमेन
 उपखण्ड अधिकारी, बाली
 उपखण्ड अधिकारी, बाली